राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक:– रामाशिप/जय/SIQE/फा–60703/2015 (11661) दिनांक 08/05/2015

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर,

श्री योगेन्द्र भूषण
निदेशक,
बोध शिक्षा समिति,
कूकस, जयपुर

निदेशक,
एस.आई.ई.आर.टी.,
राजस्थान,
उदयपुर ।

श्रीमती सुलग्ना रॉय,
शिक्षा विशेज्ञ,
यूनिसैफ, राजस्थान,
जयपुर

आयुक्त,
रा.प्रा.शि.प.
जयपुर

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय :– दिनांक 05.05.2015 को SIQE Adarsh Vidhyalaya प्रोजैक्ट की मीटिंग के कार्यवाही विवरण के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि दिनांक 05.05.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया समस्त सम्बन्धित अपने स्तर पर बैठक के निर्णयों की अनुपालना हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करवायें। समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप. प्रशिक्षण के कम में सर्व शिक्षा अभियान प्रशिक्षण प्रभारी के साथ वार्ता कर शिक्षकों की प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(ममता दाधीच)
उपनिदेशक, (SIQE)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

संलग्न - बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक:– रा.मा.शि.प./जय/ 11662 दिनांक: 08/05/2015

State Initiative for Quality Education

बैठक का कार्यवाही विवरण

(दिनांक 05.05.2015)

राज्य में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन उद्देश्य से State Initiative for Quality Education परियोजना प्रारम्भ की गई हैं परियोजना के अन्तर्गत उ.मा.वि./ मा.वि में संचालित प्राथमिक कक्षाओं ने बाल केन्द्रित शिक्षण (CCP) तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन (CCE) प्रकिया का कियान्वयन किया जायेगा।

गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए समस्त स्टेक होल्डर्स (सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग) के साथ समन्वयन के उद्देश्य से एक बैठक दिनांक 05.05.2015 को शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्न संभागी सम्मिलित हुए –

बैठक में निम्न संभागी सम्मिलित हुए –

क्रसं.	नाम	पद
1	श्री कुंजी लाल मीणा	सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार
2	श्री बी.एल जाटावत	आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्,
3	श्री सुवालाल	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार
4	श्री बी.एल मीणा	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा , राजस्थान सरकार
5	श्री श्याम लाल गुर्जर	अतिरिक्त आयुक्त, रा.मा.शि.प. जयपुर
6	श्री नसीरूद्दीन कुरैशी	उपशासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–1, राजस्थान सरकार जयपुर।
7	श्रीमती सुलग्ना रॉय	यूनिसेफ
8	श्री योगेन्द्र भूषण	बोध शिक्षा समिति, जयपुर
9	श्रीमती प्रिया बलराम	उपायुक्त, क्वालिटी एवं प्रशिक्षण, रा.प्रा.शि.प., जयपुर।
	डॉ. के.पी सिंह	विशेषाधिकारी, शिक्षा ग्रुप–2
10	श्रीमती सुनीता चावला	नोडल प्रभारी, SIQE निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
11	श्रीमती अमृता दाधीच	नोडल प्रभारी SIQE एस.आइ.ई.आर.टी, उदयपुर।
12	डॉ. नीलम उपाध्याय	उपनिदेशक,सी.सी.ई, रा.प्रा.शि.पशिक्षा संकुल जयपुर।
13	श्री बी. के गुप्ता	शासन सचिवालय, जयपुर
	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के अन्य प्रतिनिधि	

बैठक का उद्देश्य SIQE परियोजना के अन्तर्गत सी.सी.ई गतिविधियों का चिन्हीकरण एवं उनका समयबद्ध सम्पादन सुनिश्चित करना। इस कम में निम्न निर्णय लिये गये –

क्र.स	गतिविधि एवं निर्णय	उत्तरदायी एजेन्सी	टाइम लाइन
1	**सी.सी.ई प्रकिया एवं सामग्री–** सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से राज्य में 22000 रा. प्रा./उप्रा विद्यालयेां में सी.सी.ई पैटर्न पर शिक्षण एवं मूल्यांकन प्रकिया संचालित की जा रही है। प्रकिया के सकारात्मक के परिणाम विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर, आत्म विश्वास व अभिव्यक्ति में दिखाई देने लगे है। शिक्षक भी इस प्रकिया से परिचित हो गये है तथा इसकी कियान्विति कर रहे है। सी.सी.ई से सम्बन्धित सभी प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। एस.आइ.ई.आर.टी द्वारा मुख्यसन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण पूर्व संचालित पेटर्न के आधार पर प्रारम्भ कर दिया गया है। यदि पैटर्न में अभी परिवर्तन किये जायेगे तो सत्रारम्भ से प्रकिया का विस्तार अन्य विद्यालयों में नही किया जा सकेगा। अतः **सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि –** ➢ इस वर्ष सी.सी.ई से सम्बन्धित पाठ्य सामग्री, अभिलेख संधारण, गतिविधियों, मूल्याकन प्रणाली आदि में कोई परिवर्तन नही किया जाये। पूर्व में संचालित सी.सी.ई प्रकिया को ही सभी प्राथमिक कक्षाओं में कियान्वित किया जाये। ➢ एस.आइ.ई.आर.टी. उदयपुर बोध शिक्षा समिति एवं सर्व शिक्षा अभियान के साथ समन्वयन कर समस्त सामग्री सॉफ्ट कॉपी में रा.मा.शि.प. को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।	रा.प्रा.शि.प (एसएसए), एस.आइ.ई.आर.टी. बोध शिक्षा समिति	10 मई 2015
2	**शिक्षक प्रशिक्षण –** राज्य में 257 ब्लॉकस सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 154 ब्लॉक में सी.सी.ई प्रकिया लागू की जा रही है। एसआईक्यूई परियोजना के अन्तर्गत 12125 मा./उ. मा. विद्यालयों मे संचालित प्राथमिक कक्षाओं में सी.सी. ई प्रकिया लागू की जा रही है। अतः 12125 विद्यालयों के प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में आयोजित प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाना है। **शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्न निर्णय लिये गये –** ➢ 154 ब्लॉक्स के समन्वित विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जिला/ब्लॉक स्तर पर ग्रीष्मावकाश में आयोजित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जायेगें अतः रा.प्रा.शि. पद्वारा प्रशिक्षण कलेण्डर रा.मा.शि.प. को उपलब्ध करवाया जाये। ➢ जिलों को इस सम्बन्ध में आदेश प्रदान किये जायें, तथा प्रशिक्षण हेतु जारी आदेशों /निर्देशों की प्रति जिला कार्यालय रा.मा.शि.प. को उपलब्ध	रा.प्रा.शि.प. रा.प्रा.शि.प.	10 मई 2015 10 मई 2015

	करवाई जाये। ➢ अ.जि.प.स. रा.मा.शि.प. द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। ➢ शेष 103 ब्लॉक्स के 4719 विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण डाइट के माध्यम से किये जायें। ➢ इस कम में एस.आइ.ई.आर.टी द्वारा कार्ययोजना समयसारणी व आवश्यक निर्देश तैयार कर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान को प्रस्तुत किये जायें। ➢ डाइट को दिये जाने वाले समस्त निर्देश निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान द्वारा जारी किये जायें। ➢ यह प्रशिक्षण वर्ष 2015–16 में डाइट के लिए स्वीकृत प्रशिक्षण बजट से किया जायेगा। ➢ शिक्षक प्रशिक्षण समय सारणी रा.मा.शि.प. को उपलब्ध करवाई जाये ताकि ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकें। ➢ प्रारम्भिक शिक्षा के नवनियुक्त शिक्षकों का अभिनवन प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान में इस गतिविधि में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान में से किया जाये।	रा.मा.शि.प. जिला एवं राज्यकार्यालय एस.आइ.ई.आर.टी. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर एस.आइ.ई.आर.टी रा.प्रा.शि.प.	प्रशिक्षण के दौरान 10 मई 2015 12 मई 2015 12 मई 2015 ग्रीष्मावकश प्रारम्भ होने से पूर्व
3	**अध्यापकों हेतु विषयगत कार्यशाला –** सी.सी.ई प्रकिया में विषय शिक्षकों (प्राथमिक कक्षाओं के) हेतु वर्ष में 4 बार (प्रत्येक शिक्षक के लिए 1 बार) Cluster Level Workshop का प्रावधान है। **अतः निर्णय लिया गया कि –** ➢ सी.सी.ई ब्लॉक के शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में सम्मिलित होगें। कार्यशालाओं की कार्ययोजना एवं समयसारणी जिला कार्यालय रा.मा.शि.प. को सत्र के आरम्भ में उपलब्ध करवाई जायें ताकि शिक्षकों की कार्यशाला में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित हो सकें। ➢ शेष ब्लॉक्स में (नोन सी.सी.ई) संस्थाप्रधानों की मासिक बैठक में सी.सी.ई से सम्बन्धित शैक्षिक समर्थन जिला कोर ग्रुप द्वारा प्रदान किया जाये। संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के लिए शैक्षिक कार्यशाला की व्यवस्था की जायेगी।	रा.प्रा.शि.प. एवं रा.मा.शि.प. रा.मा.शि.प.	10 अगस्त 2015 सत्र पर्यन्त
4	**समन्वित विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं प्राथमिक विंग प्रभारी हेतु प्रशिक्षण –** ➢ यह प्रशिक्षण यूनिसेफ एंव बोध शिक्षा समिति के तकनीकी समर्थन से सम्पादित किया जायेगा अतः इस हेतु माड्यूल, सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण व फील्ड प्रशिक्षण कार्ययोजना मई माह में ही तैयार की जाये ताकि ग्रीष्मावकाश में यह प्रशिक्षण पूर्ण किया	यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति रा.मा.शि.प. जिला	30 मई 2015 15 –25 जून

	जा सकें तथा शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से ही सी.सी.ई प्रकिया का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित हो सके।	कार्यालय	2015

समन्वित विद्यालयो (Composite Schools)की संकल्पना प्रत्येक पंचायत में, कक्षा 1 से 12 की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की गई है। इस मुहिम में शिक्षा के समस्त Stake Holders की भागीदारी एवं जवाब देही सुनिश्चित हो सके, इसके लिए समस्त उपलब्ध संसाधनों का समेकित, अधिकतम एवं अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। परियोजना में सम्मिलित प्रत्येक इकाई अपनी भूमिका का समयबद्व निर्वहन करेगी इस संकल्प के साथ बैठक समाप्त हुई।

(नरेशपाल गंगवार)
शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सहायक, शासन सचिव, मा.शि,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त, राप्राशिप जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रा.मा.शि.प. जयपुर।
7. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
8. उपशासन सचिव, शिक्षा ग्रुप– 2, राजस्थान सरकार जयपुर।
9. उपायुक्त, क्वालिटी एवं प्रशिक्षण, रा.प्रा.शि.प जयपुर।
10. यूनिसेफ, जयपुर।
11. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
12. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, रा.मा.शि.प.) निदेशालय, मा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
13. उपनिदेशक, सी.सी.ई, रा.प्रा.शि.पजयपुर को देकर लेख है कि अ.जि.प.स. सर्व शिक्षा अभियान समस्त जिला को निर्णय के अनुसार निर्देश जारी करें।
14. जि.शि.अ., मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला।
15. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रा.मा.शि.प. समस्त जिला।
16. नोडल प्रभारी SIQE एसआईआरटी, उदयपुर को देकर लेख है कि समस्त डाइट को निर्णयानुसार निर्देश जारी करें।
17. कार्यालय प्रति।

शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

Rajasthan Council of Secondary Education

Eklavya Bhawan, Dr. RKS Sankul, JLN Marg, Jaipur-302017
दूरभाष: 0141–5192251, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

State Initiative of Quality Education (SIQE)
Meeting Date: 05-05-2015

Agenda for Meeting

- **Brief Introduction of Project.**
- **Activities under project**
  - Base line and end line assessment of student of class I to V.
  - Verification of assessment by teacher students of DIETs.
  - Practice of child centric pedagogy & comprehensive and continuous evaluation in primary classes.
  - Teachers training.
  - Monthly workshops.
  - Supply of material like source book, student profile registers, report cards etc.
- **Role of different stake holders**
  - Director of Secondary Education.
  - RCSE.
  - Director of Elementary Education.
  - RCEE/SSA.
  - SIERT.
  - DIETs.
  - UNICEF.
  - Bodh Shiksha Samiti.
- **Issues to be discussed.**
  - Finalization of material - SIERT and SSA
  - Teacher's training in summer vacations.
  - Training of Principals and In charge of Primary Section (2 persons in each higher secondary and secondary schools).
  - Monthly workshops for teachers.
  - Funds for trainings and workshops.